न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 10/2018

श्री आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर

आवेदक

बनाम

लच्छी पुत्र सरदार जाति ब्राहमण निवासी ग्राम धनवाडा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर मालिक एवं विक्रेता मैसर्स किशोर स्वीट हाउस कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :

1. गैरसायल स्वयं

निर्णय **दिनांक : 27.2.2018**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) Sub Standard Food U/S 3(1) (zx) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 26.7.2017 को दोपहर बाद गैरसायल की दुकान किशोर स्वीट हाउस कुम्हेर जिला भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु ट्रे में करीब 5 किलो घेवर मिठाई (मैदा चीनी व वनस्पति से निर्मित) मीठा घेवर पाया गया जिनमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस– 740/ एक्ट/ 2017/ 761 दिनांक 8.8.2017 द्वारा उक्त मीठा घेवर का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति के मीठा घेवर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) की धारा 51 का उल्लंघन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान से मीठा घेवर की शुद्धता (मिलावट) की जांच हेतु नमूना लिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक स्तर का पाया गया है। गैर सायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए स्वंय के द्वारा निर्मित घेवर का ही विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की दुकान किशोर स्वीट हाउस कुम्हेर से आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु करीब 5 कि0ग्रा0 वनस्पति से निर्मित मीठा घेवर पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस– 740/एक्ट/2017/761 दिनांक 8.8.2017 द्वारा उक्त मीठा घेवर का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक खाद्य पदार्थ विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैर सायल द्वारा रसीद संख्या 000015 दिनांक 27.2.2018 से जुर्माना राशि जमा राजकोष करायी गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official